न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 83/2018 (65/2022)

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 41/18 एवं 49/2018

राजस्थान सरकार जरिये हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर। .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री हिमांशु मेवाडा पुत्र श्री मोहनलाल निवासी–नन्द नगर, चांग चितार रोड, ब्यावर।
2. श्री विनोद भण्डारी विमल डिस्ट्रीब्यूटर्स भारत गैस भीलवाडा
3. ट्रक मालिक झामकमल निवासी उदयपुर ट्रक नं0–आर.जे.23जी.ए.9330
4. श्रीमती कविता मेवाडा पत्नी श्री प्रेमचन्द मेवाडा, पुलिस थाना–सरवाड। .....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1 श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
2. श्री भगवान सिंह चौहान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 06.01.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय अपर एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, अजमेर के दाण्डिक अपील संख्या 18/2021 उनवान हिमांशु मेवाडा बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 1.11.2022 से प्राप्त हुआ कि अपीलार्थी/प्रार्थी हिमांशु मेवाडा पुत्र मोहन सिंह की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 41/18 व 49/18 सरकार बनाम हिमांशु मेवाडा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.03.2020 को अपास्त किया जाकर पत्रावली प्रतिप्रेषित कर अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान् को पुनः सुनवाई का मौका देकर, पुलिस द्वारा दिये गये अंतिम परिणाम के परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से आदेश पारित करे। जिस पर पत्रावली को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं0 01 के फार्मनुमा गोदाम पर एलपीजी गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण की प्राप्त शिकायत पर दिनांक 16.3.2018 को श्री विनय कुमार शर्मा, तत्कालीन जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन निरीक्षक श्री खान मौहम्मद खान, एवं श्री भागचन्द गुर्जर के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नरबदखेडा स्थित फार्मनुमा गोदाम की जांच की गई। जिसमें अवैध रूप से भण्डारित कुल 410 गैस सिलेण्डर जिनमें गो गैस कम्पनी के 210 खाली सिलेण्डर, भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (19 कि.ग्रा.) के 91 खाली गैस सिलेण्डर, भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (19 कि.ग्रा.) के 16 भरे हुए सिलेण्डर (एल.पी.जी. मात्रा–301.8 किलोग्राम), नकारा ट्रक संख्या आर.जे.–23 जी.ए. 9330 पर भण्डारित भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक 40 भरे गैस सिलेण्डर (19 कि.ग्रा.) (एल.पी.जी. मात्रा–745.2 कि0ग्रा0) भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (लोट) 8 भरे गैस सिलेण्डर (क्षमता प्रति गैस सिलेण्डर 47 कि0ग्रा0) (एल.पी.जी. मात्रा–378.0 कि0ग्रा0) गो गैस कम्पनी के 6 भरे हुए गैस सिलेण्डर (एल.पी.जी. मात्रा–91.3 कि0ग्रा0) भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (लोट) 39 खाली गैस सिलेण्डर (क्षमता प्रति सिलेण्डर 47 कि. ग्रा.) रखे पाये गये। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा बिना वैध अनुज्ञापत्र एंव डीलरशिप के 355 खाली तथा 55 सिलेण्डर भरे हुए भण्डारित किया जाना पाया गया। वरवक्त जांच अप्रार्थी सख्या 01 द्वारा विमल डिस्ट्रीब्यूटर्स बी.पी.सी.एल कम्पनी भीलवाडा की ओर से नोन डोमेस्टिक सिलेंडर बी0पी0सी0एल गैस प्लान्ट नसीराबाद से उठाव कर सीधें ही ग्राम नरबदखेडा लाकर नकारा ट्रक जो श्री झमकलाल का है में खाली करवाकर मांग अनुसार टैम्पो/पिकअप में भरकर ब्यावर में सप्लाई किया जाना अवगत करवाया गया। ग्राम नरबदखेडा का उक्त भण्डारण स्थल श्रीमति कविता मेवाडा

जिला कलक्टर
अजमेर

पत्नी श्री प्रेमचन्द मेवाडा निवासी गणेशपुरा ब्यावर के स्वामित्व का होकर उनसे किराये पर लिया जाना अवगत करवाया गया। किन्तु किरायानामा व सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विस्फोटक नियंत्रक विभाग की बिना अनुज्ञप्ति/अनुमति के भण्डारित उपरोक्तानुसार कुल 410 सिलेण्डर मय एल.पी.जी. के कब्जेराज लेकर तौल कर श्रीचन्द सेल्स मैनेजर बी.पी.सी.एल को तथा नकारा ट्रक संख्या आर.जे.23जी.ए. 9330 को कब्जेराज लिया जाकर पुलिस थाना जवाजा को सुपुर्दगी में संभलाया गया। अप्रार्थी हिंमाशु मेवाडा का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग,) 4(1) (ग) 6, 7, (1)(ख) (ग,) एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 21 (1), (7) 44 (बी) (आई) का उल्लंघन है, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 से 04 उक्त अवैधानिक कृत्य में सहयोगी है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (क) (ख) (ग,) 4(1)(क) (घ,) का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 410 गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर आदेश पारित किए जा चुके है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी 1 की ओर से श्री भगवान सिंह चौहान अधिवक्ता उपस्थित आये । अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से उपस्थित अभिभाषक श्री भगवान सिंह चौहान द्वारा सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि एलपीजी गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण की शिकायत पर दिनांक 16.3.2018 को श्री विनय कुमार शर्मा, तत्कालीन जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन निरीक्षक श्री खान मौहम्मद खान, एवं श्री भागचन्द गुर्जर के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नरबदखेडा स्थित फार्मनुमा गोदाम की जांच की गई। जिसमें अवैध रूप से भण्डारित कुल 410 गैस सिलेण्डर जिनमें गो गैस कम्पनी के 210 खाली सिलेण्डर, भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (19 कि.ग्रा.) के 91 खाली गैस सिलेण्डर, भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (19 कि.ग्रा.) के 16 भरे हुए सिलेण्डर, नकारा ट्रक संख्या आर.जे.–23 जी.ए. 9330 पर भण्डारित भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक 40 भरे गैस सिलेण्डर (19 कि.ग्रा.), भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (लोट) 8 भरे गैस सिलेण्डर (क्षमता प्रति गैस सिलेण्डर 47 कि0ग्रा0) गो गैस कम्पनी के 6 भरे हुए गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (लोट) 39 खाली गैस सिलेण्डर (क्षमता प्रति सिलेण्डर 47 कि.ग्रा.) रखे पाये गये। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा बिना वैध अनुज्ञापत्र एंव डीलरशिप के 355 खाली तथा 55 सिलेण्डर भरे हुए भण्डारित किया जाना पाया गया। वरवक्त जांच अप्रार्थी सख्या 01 द्वारा विमल डिस्ट्रीब्यूटर्स बी.पी.सी'एल कम्पनी भीलवाडा की ओर से नोन डोमेस्टिक सिलेंडर बी0पी0सी0एल गैस प्लान्ट नसीराबाद से उठाव कर सीधें ही ग्राम नरबदखेडा लाकर नकारा ट्रक जो श्री झमकलाल का है में खाली करवाकर मांग अनुसार टैम्पो/पिकअप में भरकर ब्यावर में सप्लाई किया जाना अवगत करवाया गया। ग्राम नरबदखेडा का उक्त भण्डारण स्थल श्रीमति कविता मेवाडा पत्नी श्री प्रेमचन्द मेवाडा निवासी गणेशपुरा ब्यावर के स्वामित्व का होकर उनसे किराये पर लिया जाना अवगत करवाया गया। किन्तु किरायानामा व सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विस्फोटक नियंत्रक विभाग की बिना अनुज्ञप्ति/अनुमति के भण्डारित उपरोक्तानुसार कुल 410 सिलेण्डर मय एल.पी.जी. के कब्जेराज लेकर तौल कर श्रीचन्द सेल्स मैनेजर बी.पी.सी.एल को तथा नकारा ट्रक संख्या आर.जे. 23जी.ए. 9330 को कब्जेराज लिया जाकर पुलिस थाना जवाजा को सुपुर्दगी में संभलाया गया। अप्रार्थी हिंमाशु मेवाडा का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग,) 4(1) (ग) 6, 7, (1)(ख) (ग,) एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 21 (1), (7) 44 (बी) (आई) का उल्लंघन है, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 से 04 उक्त अवैधानिक कृत्य में सहयोगी है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (क) (ख) (ग,) 4(1)(क) (घ,) का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 410 गैस सिलेण्डरों एवं वाहन को राजसात करने के आदेश दिनांक 04.03.2020 पारित किए गए जो उचित है।

जिला कलक्टर
अजमेर

अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए निवेदन किया कि अवैध रूप से गैस सिलेण्डर भण्डारण करने के कथन मनगढन्त एवं गलत है। अप्रार्थी संख्या 01 फर्म गणेशम गैस एजेन्सी का प्रोपराईटर होकर मैसर्स गौ गैस पेट्रोलियम कम्पनी का अजमेर, ब्यावर का व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का वितरक है। जिला रसद अधिकारी द्वितीय, अजमेर द्वारा बिना दस्तावेज देखे बेवजह गौ गैस कम्पनी के अप्रार्थी संख्या 01 के 215 सिलेण्डर जब्त कर लिये गये। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ट्रांसपोर्ट का कार्य भी किया जाता है। इस कारण भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा मै0 विमल डिस्ट्रीब्यूटर को गैस गैस वितरण का कार्य दिया गया है। और विमल डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रार्थी को राज्य सरकार की महत्वपूर्ण अन्नपूर्णा योजना के लिए व्यवसायिक गैस सिलेण्डर वितरण का कार्य दे रखा है। इसी के तहत भारत गैस के 195 व्यवसायिक सिलेण्डर जो कि वाहन संख्या आर.जे.–36 जीए–3758 में वापिस जाने थे, वह खराब होने के कारण उक्त सिलेण्डर प्रार्थी की फर्म पर छोडे गये थे। उक्त वाहन को ठीक कराये जाने का भुगतान बिल भी संलग्न पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा गौ गैस एजेन्सी के व्यवहार एवं सेवाओं से सन्तुष्ट नहीं होने के कारण अपने वितरण का कार्य बन्द किये जाने का पत्र जरिये ई–मेल दिनांक 29.9.2017 भेजकर जमा अमानत राशि लौटाने का भी निवेदन किया गया है। गौ गैस एजेन्सी द्वारा हिसाब नहीं किये जाने कारण गौ गैस एजेन्सी के 215 सिलेण्डर प्रार्थी के पास ही रखे थे। जिला रसद अधिकारी, द्वितीय द्वारा बिना किसी ठोस व उचित कारणों के अप्रार्थी संख्या 01 के सिलेण्डर एवं अप्रार्थी संख्या 03 का वाहन जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा भी मामले में एफ.आर. पेश की गई है। अप्रार्थी0/प्रार्थी0 न्यायालय की प्रत्येक शर्त की पालना को तैयार है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 एवं 03 द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जब्त शुदा सिलेण्डर एवं वाहन नियमानुसार अप्रार्थीगण को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश न्यायाहित में प्रदान करावे तथा न्यायालय के आदेश दिनांक 04.03.2020 के विरूद्व न्यायालय अपर एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जिसके सबंध में माननीय न्यायालय अपर एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1 अजमेर के दाण्डिक अपील संख्या 18/2021 उनवान हिमांशु मेवाडा बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 1.11.2022 से पारित किया गया कि अपीलार्थी/प्रार्थी हिमांशु मेवाडा पुत्र मोहन सिंह की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 41/18 व 49/18 सरकार बनाम हिमांशु मेवाडा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.03. 2020 को अपास्त किया गया है। आवश्क वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कलेक्टर की अधिकारित में तथी आएगा जब ई.सी. एक्ट के तहत कोई अपराध हो, विधि का उल्लंघन हो, इस प्रकरण में ई.सी. एक्ट का कोई अपराध नहीं पाया गया पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन एफ.आर प्रस्तुत कर दी। प्रकरण में पुलिस ने एफ.आई.आर संख्या 193/2018 थाना जवाजा दर्ज कर विस्तार से अनुसंधान किया तथा पुलिस ने बाद गहन अनुसंधान के ई.सी. एक्ट का कोई अपराध नहीं माना तथा अंतिम प्रतिवदेन (एफ.आर.संख्या 226/2018) प्रस्तुत कर दी, ऐसे में 6 ए ई.सी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में नही लाई जा सकती है। पीईएसओ का लाइसेंस विमल डिस्ट्रीब्यूटर के पास था तथा बाद सुनवाई स्पष्टीकरण के पीईएसओ का लाइसेंस बहाल किया गया जिसमें ई.सी. एक्ट का उल्लंघन नही माना गा । ई.सी.एक्ट का अपराध व उल्लंघन पुलिस ने नही माना 6 ए ई.सी एक्ट क तहत कार्यवाई नहीं की जा सकती। अतः 6 ए ई.सी.एक्ट की कार्यवाही समाप्त करावे तथा जप्त हुए सिलेंडर प्रार्थी को लौटाए जाने के आदेश प्रदान करावे ।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी संख्या 01 के नरबदखेडा स्थित फार्मनुमा गोदाम एवं नकारा ट्रक में अवैध रूप से बिना वैध अनुज्ञापत्र एंव डीलरशिप के कुल 410 गैस सिलेण्डर जिनमें गो गैस कम्पनी के 210 खाली तथा 6 भरे हुए, भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (19 कि.ग्रा.) के 91 एवं (47 कि.ग्रा.) 39 कुल 130 खाली, भारत गैस कम्पनी के नोन डोमेस्टिक (19 कि.ग्रा.) के 56 एवं (47 कि.ग्रा.) 8 कुल 64 भरे सिलेण्डर भण्डारित पाये गये। अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग,) 4(1) (ग) 6, 7, (1)(ख) (ग,) एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 21 (1), (ग) 44 (बी) (आई) का उल्लंघन है, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 से 04 उक्त अवैधानिक कृत्य में

जिला कलक्टर
अजमेर

सहयोगी होने से उनका कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (क) (ख) (ग,) 4(1)(क) (घ,) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। चूकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में एफ.आर. प्रस्तुत किये जाने के आधार पर प्रकरण को हमारे समक्ष प्रतिप्रेषित किया गया है जिसमें प्रथम दृष्टया यह देखा जाना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत की गई कार्यवाही में जिला रसद अधिकारी अजमेर ने मौके पर जाकर फर्द्द मौका एवं जब्ती दिनांक 16.03.2018 प्रस्तुत की गई है जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी के गोदाम पर अवैध रूप से एल.पी.जी का भण्डारन किया जा रहा था जो की कानूनी रूप से एवं नियमानुसार नही कर भारत गैस कम्पनी के एवं ड्रोमेस्टिीक श्रेणी के एवं गो गेस के होना पाया गया । अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विस्फोटक नियंत्रक विभाग की बिना अनुज्ञप्ति/अनुमति के भण्डारित उपरोक्तानुसार कुल 410 सिलेण्डर मय एल.पी.जी पाए गए । आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए की उपधारा 2 के तहत उपरोक्त कृत्य लोकहित के विरूद्व जाकर अप्रार्थी द्वारा कारित किया गया है। इसलिए अप्रार्थी का उपरोक्त कृत्य लोकहित के विरूद्व जाकर कारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 410 गैस सिलेण्डरों एवं वाहन को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर जब्त सिलेण्डरों एवं नकारा ट्रक संख्या आर.जे.23 जी ए 9330 का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाई जाने की कार्यवाही करे। दोनो प्रार्थना पत्र (सुपुर्द्दगीनामा) अब इस स्तर पर सारहीन होने से इसी कदर से निस्तारित किये जाते है। आदेश प्रति सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप))
जिला कलक्टर,
अजमेर